तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुरसलीम बनाम सरकार** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/209**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर दिये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है जबकि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 केवल अभिग्रहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में जाप्तशुदा वाहन के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने के कारण अपीलार्थी की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से अधिवक्ता अपीलार्थी को उनकी अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तत करने हेतु वापस लौटाई जावें एवं न्यायालय हाजा की अपील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	

मूल पत्रावलि मे दस्तावेज प्राप्त की

Arafat Hussain